न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु. न. 140/21	प्रवेश तिथि 27.09.2021	निर्णय तिथि 19.01.2021

उनवान

1. मकसूद
2. ताहिर पुत्रान बसीर खां जाति मेव निवासी ईस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज धारा 88,89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार
के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

...:–

...श कुमार शर्मा वकील वादीगण की और से।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:–
वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरानम्बर 113 रकबा 0.20 हे. ...म ईस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जो नत्थू पुत्र मूसा कोम खाती साकिन ईस्माईलपुर ...तेदार था जिसने अपनी उक्त गैर खातेदारी आराजी को जरिये इकरारनामा दिनांक 24.12. ...मिन वादीगण के पिता स्व. बसीर पुत्र सुरजन को सम्पूर्ण रकम प्राप्त कर मौके पर कब्जा ...या । वक्त खरीद से पिता वादीगण वो उनके फौत होने के पश्चात हम वादीगण निरन्तर ...काश्त चले आ रहे है।
... खसरा नम्बर 113 रकबा 0–16 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 135 रकबा 0–16 बिस्वा भू. ...विभाग मे पैमूद हुआ है नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2012–14 के कालम सख्या 24 के ...के अंकन बाबत नत्थू पुत्र मूसा खाती गैर मौरूसी साल 1 दर्ज किया हुआ है नकल खसरा ...वरी सम्वत 2019–21 मे साबिक खसरा नम्बर 135रकबा 0–16 बिस्वा पर बतौर काश्तकार ...त्र मूसा खाती सा. देह पटटेदार दर्ज किया हुआ है इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 135 ...0–16 के बाबत जमाबन्दी सम्वत 2018 के खाता सख्या 435 पर नत्थू पुत्र मूसा खाती ... देह पटटेदार किया हुआ है तथा मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 मे हाल खसरा नम्बर 113 0–16 बिस्वा के बाबत कालम नम्बर 5 नाथू पुत्र मूसा कोम खाती सा. देह गैरखातेदार दर्ज हुआ है जिससे साबित है कि यह आराजी नत्थू के कब्जेकाश्त की आराजी रही है जो 2012 मे उसके पास बहैसियत गैर मौरूसी थे।
वादीगण के पिता द्वारा जरिये इकरारनामा खरीद की जाकर मौके पर पहले वादीगण पिता

वो अब वादीगण काबिज काश्त है इसलिए वादीगण अपना कब्जा घोषित कराकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के बिन्दु सख्या 3 व 5 के अनुसार कीमत जमा राजकोष कराकर खातेदारी हकूक प्राप्त करने के अधिकारी है तथा हाल रिकार्ड मे जो अमल नत्थू पुत्र मूसा के नाम का हो रहा है जो हजफ कराने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 0.20 हे. वाके ग्राम ईस्माईलपुर तहसील किशनगढबास पर जरिये इकरारनामा क्रय कर बाद खरीद से ही निरन्तर काबिज काश्त है वादीगण का कब्जा घोषित किया जावे। एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के हकूक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है तथा अमल हाल राजस्व रिकार्ड मे नत्थू पुत्र मूसा खाती सा. देह गैर खातेदार हो रहा है उसे कलमजन कराने के अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब था। वाद के जेर कार रहते हुए प्रकरण मे कब्जा काश्त रिपोर्ट प्राप्त हुई । प्राप्त कब्जा काश्त र्ट के आधार पर मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है। मौके पर गेहूं की काश्त की जा रही

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस मे वाद मे अंकित को दौहराते हुए वाद वादीगण को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने वकील वादीगण की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त न किया। हाल खसरा नम्बर 113 रकबा 0.20 हे. मे नत्थू पुत्र मूसा जाति ब्राहाण सा. देह तेदार दर्ज रिकार्ड है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 0–16 बिस्वा पर सम्वत नत्थू पुत्र मुसा खाती साकिन देह पटटेदार किस्म मटियार अब्बल ढहरी दर्ज राजस्व है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 से 2022 मे भी नत्थू पि. मूसा खाती सा. देह पटटेदार कार्ड है। जिससे यह बाखूबी साबित होता है आराजी उक्त भू. प्रबन्ध से पूर्व भी राजस्व मे नत्थू पि. मूसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड के गैर खातेदार द्वारा आराजी वादीगण के पिता बसीर खां पुत्र सुरजन जाति मेव को जर्ये इकरारनामा दिनांक 24.12.86 बेचान किया गया है। प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भी वादीगण का ही कब्जा काश्त है बाखूबी साबित होता है प्रकरण अवैध हस्तानान्तरण श्रेणी का है मोके पर वादीगण का काश्त है आराजी उक्त नगर विकास न्यास की अधिसूची मे अधिसूचित है वर्तमान मे राज्य का परिपत्र दिनांक 30.03.2012 एवं राज्य सरकार का नोटिफिकेशन राजस्व ग्रुप –6 विभाग सूचना स. एफ.9 15 राज./6/2005/पार्ट 32 दिनांक 24.04.2018 प्रभावी है जिसके प्रचलित डी.एल.सी का 10 प्रतिशत नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही वादीगण काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश हैः–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादीगण राजी खसरा नम्बर 113 रकबा 0.20 हे. वाके ग्राम ईस्माईलपुर का काबिज काश्तकार घोषित जाता है। वादीगण आराजी उक्त की राज्य सरकार का नोटिफिकेशन राजस्व ग्रुप –6 विभाग

धिसूचना स. एफ.9 15 राज./6/2005/पार्ट 32 दिनांक 24.04.2018 के अनुसार प्रचलित
.सी. दर का 10प्रतिशत नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर वादीगण के पक्ष मे
ग खातेदारी सनद जारी हो । राशि जर्ये चालान जमा राजकोष हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे
गैर खातेदार को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा मुताबिक सनद वादीगण
ाम अमल राजस्व रिकार्ड मे किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा
गण स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो।
या गया।

आमेप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

पीठासीन द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

प्रवेश तिथि

27.09.2021

निर्णय तिथि

19.01.2021

/21

पर्चाडिकी

उनवान

... ताहिर पुत्रान बसीर खां जाति मेव निवासी ईस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज धारा 88,89, राजस्थान काश्तकारी ...यम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

...कुमार शर्मा वकील वादीगण की और से।

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादीगण को खसरा नम्बर 113 रकबा 0.20 हे. वाके ग्राम ईस्माईलपुर का काबिज काश्तकार घोषित ...ाता है। वादीगण आराजी उक्त की राज्य सरकार का नोटिफिकेशन राजस्व ग्रुप –6 विभाग ...सूचना स. एफ.9 15 राज./6/2005/पार्ट 32 दिनांक 24.04.2018 के अनुसार प्रचलित ...ी. दर का 10प्रतिशत नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर वादीगण के पक्ष मे खातेदारी सनद जारी हो । राशि जर्ये चालान जमा राजकोष हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे खातेदार को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा मुताबिक सनद वादीगण अमल राजस्व रिकार्ड मे किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आमेप्रकाश सहारण

उपखण्ड अधिकारी

किशनगढबास

(देखिये नियम 15(3))

सनद का प्रारूप

चूंकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन/नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	जर्ये वाद मकसूद बनाम सरकार मु.न. 140/21 निर्णय दिनांक 19.01.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	मकसूद , ताहिर पुत्रान बसीर खां जाति मेव निवासी ईस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 0.20 हे. वाके ग्राम इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास किस्म बारानी ए
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई । मय राशि जमा होने का चालन नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 57913393 से राशि 17070 रू.(एक लाख सत्तर हजार सत्तर रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 57913190 से राशि 45500 रू.(पैतालिस हजार पांच सौ रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 57913029 से राशि 1600 रू.(एक हजार छः सौ रूपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा नम्बर मे दर्ज गैर खातेदार के समस्त अंकन पर कलमजन कर जारी की गई।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

क्रमाक/सम/2021/1533-36

दिनांक :– 21/1/22

प्रतिलिपिः–

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी मकसूद , ताहिर पुत्रान बसीर खां जाति मेव निवासी इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)